नियमावली

1—संस्था का नाम — विराट सेवा समिति ।

2—संस्था का पता— ई-३८ न्यू आगरा, जिला-आगरा ।

3—संस्था का कार्यक्षेत्र— सम्पूर्ण आगरा क्षेत्र ।

4—संस्था के उद्देश्य — स्मृति-पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेंगे ।

5—संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग—

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देते हैं वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे । जो निम्न वर्ग के होंगे—

संरक्षक सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/—रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन होंगे ।

आजीवन सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/—रू0सदस्यताशुल्क के रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

साधारण सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को 250/—रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के साधारण सदस्य होंगे ।

विशिष्ट सदस्य— ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व भी विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी। ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चन्दा स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा ।

6—सदस्यता की समाप्ति—1—सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
2—आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
3—किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।
4—सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5—संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।
6—किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।
7—सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7—संस्था के अंग— (अ) साधारण सभा ।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8—साधारण सभा— (अ) गठन— साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा ।
(ब) बैठकें— साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

सत्य प्रतिलिपि

Hariom Chaudhary
Secretary
Virat Sewa Samiti

8- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है—

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1– श्रीमती [illegible] चौधरी पुत्री/पत्नी [illegible] चौधरी	ई–56 न्यू आगरा, जिला–आगरा	अध्यक्ष	गृहकार्य
2– श्रीमती [illegible] पुत्री/पत्नी [illegible]	56/53 [illegible] आगरा	उपाध्यक्ष	गृहणी
3– श्री हरिओम चौधरी पुत्र श्री गुलाब सिंह	ई–56 न्यू आगरा जिला–आगरा	सचिव	व्यापार
4– श्री [illegible] पुत्र श्री आर0एस0चौधरी	37/201 चौधरी मार्केट [illegible] रोड आगरा	उपसचिव	व्यापार
5– श्री [illegible] चौधरी पुत्र श्री [illegible]	[illegible] पो0 सादाबाद जिला–हाथरस	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6– श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] सिंह	[illegible] रोड, सादाबाद, हाथरस	सदस्य	व्यापार
7– श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह	[illegible] फिरोजाबाद	सदस्य	व्यापार

9– हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि उक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि0–21 सन्1860 के अन्तर्गत एक समिति का पंजीयन कराना चाहते हैं।

दिनाँक–27–12–2009

सत्य प्रतिलिपि

Hariom Chaudhary
Secretary
Virat Sewa Samiti

विराट सेवा समिति
सचिव

21- सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को चलाना व खाली पड़ी ऊसर बंजर भूमि पर सघन वृक्षारोपण का कार्य कर वनीकरण को बढ़ावा देना व अवैध लकड़ी कटाई को रोकने में विभाग का सहयोग करना ।

22- ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन, भैंस पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मौनपालन, पशुपालन आदि को बढ़ावा देना तथा फ्लोरीकल्चर, एवं अन्य वनौषधि को बढ़ावा देना एवं कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा सब्जियों की खेती व प्लान्टेशन कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित कर गाँवों का सर्वांगीण विकास करना ।

23- पशुधन, जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण, संवर्धन का कार्य करना व बीमार पशुओं, जन्तुओं के लिये पशु चिकित्सालय पशुशाला गौ संवर्धन व संरक्षण करना व गौशाला की व्यवस्था करना एवं उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित तथा जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

24- खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत फलों का संरक्षण प्रशोधन पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना तथा प्राप्त आय का संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं निर्दिष्ट कार्यों पर व्यय करना ।

25- खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रिजरवेशन, बेकरी, एवं कन्फेक्शनरी, वेजिटेबल प्रोसेसिंग, मांस–मछली प्रसंस्करण, पोल्ट्री एवं एग प्रोसेसिंग, मशरूम स्पान प्रोसेसिंग, आयल सीड प्रोसेसिंग इत्यादि का संचालन करना।

26- उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/ खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करना, चलाना व उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर निर्धन युवक युवतियों व नागरिकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना ।

27- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत सम्बन्धी गोबर गैस सौर्य ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं विकास करना।

28- महिलाओं को स्वरोजगार व आत्म निर्भरता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

29- निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, हडको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, क्राई सिफ्सा, नाबार्ड, आवार्ड, नौराड, यूथ, सूडा, सिडबी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधि, महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल श्रम वस्त्र शिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, डी0आर0डी0ए0, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रममंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, राजीव गाँधी फाउन्डेशन, मौलाना आजाद फाउण्डेशन, फखरुद्दीन अली अहमद फाउण्डेशन, विश्व स्वास्थ्यसंगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्नकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।

30- समाज में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक बुराईयों का खात्मा करने का प्रयास करना तथा अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि दैवीय प्रकोप के समय राहत शिविरों आदि का आयोजन कर पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना ।

31- कार्यक्षेत्र में जगह–जगह विद्यालय, स्कूल कालेजों संस्था के नाम से व अन्य नामों से की स्थापना करना व उनका विधिवत प्रबन्ध संचालन करना ।

32- यह कि राज्य सरकार /भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्डों/ विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को न प्रदान किया जायेगा और न ही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेंगे ।

[illegible] एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], खेल [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], अनौपचारिक शिक्षा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रदान करना। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible], [illegible] हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना।

[illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु [illegible] [illegible] [illegible] शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा औषधालयों [illegible] [illegible] की पूर्ण व्यवस्था करना।

[illegible] एवं शहरी क्षेत्रों में [illegible] [illegible] के सहयोग से [illegible] [illegible] [illegible] योजनाओं के सहत [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] करना।

[illegible] [illegible], कृषि [illegible], कृषि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अनुसंधान के सम्बन्ध में [illegible] [illegible] तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमों का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों विकलांगों व [illegible], [illegible] [illegible] के कल्याण के लिये कार्यक्रम, बालाश्रम, [illegible] एवं [illegible] की स्थापना करना।

विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं द्वारा जनता को जागरूक करना एवं [illegible] युवक-युवतियों एवं विधवा अनाथ [illegible] महिलाओं एवं युवाओं व अनाथ बच्चों को [illegible] [illegible] प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर नागरिक बनाना।

युवाओं में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक [illegible] [illegible] [illegible] जैसे मूल्यों का विकास [illegible] तथा [illegible] [illegible] [illegible] सहयोग देना। राष्ट्रीय विकास और [illegible] [illegible] की [illegible] में [illegible] में सहयोग प्रदान करना।

[illegible] महिलाओं, अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम [illegible], आँगनबाड़ी, बालवाड़ी, नारी निकेतन, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम [illegible] कला केन्द्रों व [illegible] बच्चों के उत्थान हेतु [illegible] विद्यालय, एवं आवासीय विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना।

18- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनायें जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी, [illegible] क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क [illegible], [illegible] मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों [illegible] [illegible] एवं की स्थापना/निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य [illegible] से जोड़ने का प्रयास करना।

19- कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि को बढ़ावा देना व उन्नत कृषि के बारे में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर सहयोग एकता की भावना पैदा कर उन्नति कृषि को अपनाने पर [illegible] [illegible] जैविक खाद के उपयोग, प्रचार प्रसार तथा किसानों को [illegible] [illegible] [illegible] से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की [illegible] के बारे में सभी प्रकार से [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] करना।

20- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] पर्यावरण [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] एवं पर्यावरण का [illegible] [illegible] के लिये [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] समिति

Harbal Chaudhary

सचिव

— 4 —

12– संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था– संस्था का कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा । जिसका संचालन [illegible] संयुक्त हस्ताक्षर से होगा ।

13– संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)– संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष वित्त समाप्ति पर किसी योग्य चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

14– संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व– संस्था द्वारा कोई भी [illegible] अदालती कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी [illegible] अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15– संस्था के अभिलेख– 1– सदस्यता रजिस्टर
2– कार्यवाही रजिस्टर ।
3– [illegible] स्टॉक रजिस्टर
4– [illegible] रजिस्टर आदि ।

16– संस्था का विघटन– संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक–27–12–2009

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

विराट सेवा समिति

Hariom Chaudhary
Secretary
[illegible] Sewa Samiti